अध्याय-10
नगरीय निकायों की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन

- नगरीय निकायों को अन्तरण
- नगरीय निकायों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा
- नगर पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा
- नगर पालिका परिषद की वित्तीय स्थिति की समीक्षा
- नगर पालिक निगम की वित्तीय स्थिति की समीक्षा
- लेखांकन एवं अंकेक्षण

10.1 स्थानीय शासन की परिकल्पना में शहरी क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए नगरीय निकाय एक प्रमुख कड़ी है। नगरीय निकायों की सफलता मुख्यतः आर्थिक स्वायत्तता, संसाधनों के मितव्ययी एवं पारदर्शी उपयोग पर आधारित है। इस परिप्रेक्ष्य में नगरीय निकायों की आर्थिक प्रवृत्तियों का विश्लेषण इस अध्याय में किया गया है।

शासन से अन्तरण

10.2 वर्ष 2017–18 से 2021–22 तक शहरी स्थानीय निकायों को राज्य एवं केन्द्र शासन द्वारा अपनी संचित निधि से रूपये 9466.39 करोड़ अंतरित किया गया है। अंतरित राशि का मदवार तथा वर्षवार विवरण तालिका 10.1 में देखा जा सकता है।

सारणी 10.1
नगरीय निकायों को शासन से अन्तरण

(राशि करोड़ में)

क्र.	विवरण	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	योग
1	राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर	441.55	299.75	320.73	441.62	451.45	1955.10
2	समनुदेशिक प्राप्ति	75.55	49.02	71.98	77.42	102.45	376.42
3	राज्य शासन से अनुदान	1275.56	840.14	1048.97	1048.99	1010.31	5223.97
4	केन्द्रीय वित्त आयोग	243.80	282.04	451.56	403.50	530.00	1910.90
	योग	**2036.46**	**1470.95**	**1893.24**	**1971.53**	**2094.21**	**9466.39**

स्रोत :– बजट पत्र

10.3 नगरीय निकायों को कुल अन्तरण में राज्य वित्त आयोग को अनुशंसा पर लगभग 21% समनुदेशिक प्राप्तियों से 4% राज्य शासन द्वारा अनुदान से 55% तथा केन्द्रीय वित्त आयोग से 20% का अन्तरण हुआ है।

10.4 नगरीय निकायों को समनुदेशिक प्राप्तियों से मात्र 4% अन्तरण का मुख्य कारण यह है कि, समनुदेशिक राजस्व के लिए नगरीय निकायों को निर्धारित स्रोतों में से अधिकांश स्रोतों से राज्य शासन द्वारा कर अथवा शुल्क का उद्ग्रहण नहीं किया जा रहा है। इसमें मुख्यतः प्रवेश कर से प्राप्त राजस्व है, जो देश में GST लागू होने के कारण समाप्त कर दिया गया है। समनुदेशित राजस्व के स्रोतों समाप्त होने के कारण राज्य शासन, अनुदान के रूप में नगरीय निकायों को सहायता दे रही है। इस कारण राज्य शासन द्वारा दी जा रही अनुदान राशि का, शासन द्वारा अंतरित राशि में 55% के लगभग योगदान है।

10.5 नगरीय निकायों के लिए, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को शासन से अन्तरित राशि का प्रदेश के नगरीय निकायों में मदवार तथा वर्षवार वितरण तालिका 10.2 के अनुसार है।

सारणी 10.2
नगरीय निकायों को वितरित राशि

(राशि करोड़ में)

क्र.	विवरण	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21	2021–22
1.	राज्य वित्त आयोग	547.45	299.75	451.16	561.72	541.55
2.	समनुदेशित	465.67	438.53	508.73	547.38	546.12
4.	नगर विकास निधि (राज्य शासन से अनुदान)	526.32	170.10	286.04	273.14	114.53
3.	केन्द्रीय वित्त आयोग	314.27	282.04	381.09	700.00	544.70
	योग	**1853.71**	**1190.42**	**1627.02**	**2082.24**	**1746.90**

स्रोत :–विभागीय ज्ञापन

10.6 नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 433 तथा नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 355 के अन्तर्गत नगरीय प्रशासन एवं विकास द्वारा छत्तीसगढ़ नगरपालिका नगर विकास निधि नियम 2003 बनाया गया है, इसके नियम 4 के अनुसार नगरीय निकायों के लिए केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा समस्त अन्तरित राशि प्रथमतः इस निधि में जमा की जायेगी। इस निधि के नियम 5 से 10 में निधि से व्यय के लिए आवश्यक प्रावधान किये गये हैं।

10.7 छत्तीसगढ़ नगरपालिका नगर विकास निधि नियम 2003 के नियम 7 अनुसार शासन से प्राप्त राशि को दो भागों न्यागमन एवं अधोसंरचना निधि में विभाजित किया गया है।

10.8 समनुदेशित स्रोतों से प्राप्त राशि का वितरण न्यागमन खाते से तथा वित्त आयोगों की अनुशंसा से राज्य द्वारा प्राप्त राशि, पूँजीगत कार्यों के लिए दिए गए अनुदान इत्यादि अधोसंरचना लेखे में अंतरित किए जाते हैं।

10.9 अधोसंरचना निधि से नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा नगरीय निकायों के लिए बनायें गए विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत राशि नगरीय निकायों को दी जा रही है।

10.10 केन्द्रीय वित्त आयोग तथा राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर केन्द्र अथवा राज्य शासन द्वारा वितरण हेतु मान्य सूत्रों के अनुसार राशि का वितरण नहीं किया जा रहा है। विभाग से प्राप्त विभागीय ज्ञापन में दी गई टीप से इस तथ्य की पुष्टि होती है।

10.11 वर्ष 2017–18 से वर्ष 2021–22 पर शासन द्वारा अन्तरित राशि 9466.39 करोड़ के विरूद्ध विभाग द्वारा नगरीय निकायों को रू. 8500.29 करोड़ ही वितरित की गई है।

10.12 नगरीय निकायों को शासन से प्राप्त होने वाली राशि, प्रथमतः छत्तीसगढ़ नगर पालिका नगर विकास निधि (2003) में प्राप्त की जाती है। नगरीय निकायों को उपरोक्त नियम के प्रावधानों के अनुसार राशि अन्तरित की जाती है। केन्द्रीय वित्त आयोग तथा राज्य वित्त आयोग द्वारा, अनुशंसित राशि का वितरण नगरीय निकायों के मध्य कैसे होगा, यह अनुशंसित करने का दायित्व भी संबंधित आयोग का होता है। राज्य वित्त आयोग द्वारा नगरीय निकायों हेतु अनुशंसित राशि का वितरण, आयोग द्वारा अनुशंसित वितरण सूत्र के आधार पर नहीं किया जा रहा है, अतः आयोग अनुशंसा करती है कि **"राज्य वित्त आयोग द्वारा अनुसंशित वितरण सूत्र तथा उस पर शासन द्वारा दी गई सहमति, अथवा यथोचित संशोधनों या परिवर्तनों के साथ सहमति, के अनुरूप, नगरीय निकायों के मध्य राज्य वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित राशि का वितरण सुनिश्चित किया जाये"।**

10.13 छत्तीसगढ़ नगर पालिका नगर विकास निधि में मार्च, 2022 की स्थिति में 966.10 करोड़ रू अंतिम शेष था, यह नगरीय निकायों को हस्तांतरण हेतु शासन से प्राप्त राशि है, **अतः आयोग की अनुशंसा है कि "नगरीय निधि में नगरीय निकायों को हस्तांतरण हेतु प्राप्त राशि का 15 दिनों के अंदर संबंधित निकायों को हस्तांतरण सुनिश्चित किया जाये, तथा इसका उत्तरदायित्व नगर प्रशासन एवं विकास संचालनालय को दिया जाये"।**

नगरीय निकायों की वित्तीय समीक्षा

10.14 राज्य वित्त आयोग द्वारा विभिन्न मदों के द्वारा स्थानीय नगरीय निकायों के अध्ययन हेतु प्रतिदर्श नगरीय निकायों की वित्तीय प्राप्तियों का विश्लेषण किया गया है। प्रतिदर्श नगरीय निकायों की वित्तीय प्राप्तियों का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका 10.3
प्रतिदर्श नगरीय निकायों की प्राप्तियाँ

(राशि करोड़ में)

क्र.	विवरण	2017-18		2018-19		2019-20		2020-21		2021-22	
		राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
1	स्वयं का राजस्व	347.16	22.91	351.19	27.18	331.13	20.35	375.81	23.63	431.87	30.16
2	राज्य शासन से	729.92	48.18	628.88	48.68	686.53	42.20	698.88	43.94	588.13	41.08
3	केन्द्र शासन से	397.93	26.26	245.86	19.03	543.03	33.38	476.66	29.97	373.42	26.08
4	ऋण	1.49	0.10	0.40	0.03	0.87	0.05	0.43	0.03	0.24	0.02
5	अन्य	38.59	2.55	65.61	5.08	65.29	4.01	38.65	2.43	38.13	2.66
	योग	**1515.09**	**100**	**1291.94**	**100**	**1626.85**	**100**	**1590.43**	**100**	**1431.79**	**100**

स्रोत :– वित्त आयोग द्वारा एकत्रित समंक

10.15 उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि इन नगरीय निकायों को विभिन्न मदों के अंतर्गत वर्ष 2017–22 के दौरान कुल 7456.10 करोड़ की राशि प्राप्त हुई जिसमें से प्रतिवर्ष औसतन 44% की हिस्सेदारी राज्य शासन से अंतरित राशि की रही है।

10.16 नगरीय निकायों का स्वयं के स्रोत से राजस्व प्राप्ति का प्रतिशत औसत लगभग 28% वार्षिक रहा है जिसमें निरंतर वृद्धि की प्रवृत्ति परिलक्षित हो रही है जो कि एक सकारात्मक संकेत है।

10.17 यह भी ध्यातव्य है कि स्थानीय नगरीय निकाय अपनी वित्तीय जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए अधिकतर राज्य से अंतरित राशि पर निर्भर हैं इसलिए स्थानीय निकायों को स्वयं की आय के मौजूदा स्रोतों का विश्लेषण कर आय के नवीन स्रोतों की संभावनाओं पर काम करना चाहिए एवं आवश्यकता पड़ने पर इस दिशा में राज्य शासन से भी प्रयोजनमूलक सहयोग लिया जा सकता है।

स्वयं के स्रोत से प्राप्तियाँ

10.18 नगरीय निकायों के स्वयं के स्रोतों से राजस्व प्राप्तियों के मुख्यतः दो घटक हैं :–

(I) कर राजस्व (II) गैर–कर राजस्व

10.19 कर राजस्व के मुख्यतः दो घटक है :–(i) अनिवार्य कर (ii) विवेकाधीन कर। इसी प्रकार गैर कर राजस्व के भी विभिन्न घटक हैं जैसे – किराया या पट्टा से प्राप्तियां, लायसेंस फीस, ब्याज आदि। नीचे के पैरा में स्वयं के स्रोत से राजस्व प्राप्तियों का बिंदुवार अध्ययन करेंगे।

10.20 संविधान का अनुच्छेद 243 (B) राज्य विधानमंडलों को उस राज्य के नगरीय निकायों को कर, शुल्क पथकर आदि का उदग्रहण करने एवं उनका विनियोजन करने के लिए प्राधिकृत करने की शक्ति प्रदान करता है। नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 132(1) एवं नगर पालिका परिषद अधिनियम की धारा 127(1) में अनिवार्य करों के रूप में संपत्ति कर, समेकित कर एवं जल कर मुख्य है। नगरीय निकायों में अनिवार्य करों की वसूली की स्थिति नीचे दी गयी तालिका में स्पष्ट की गयी है –

तालिका 10.4
सैम्पल नगरीय निकायों में अनिवार्य करों एवं कर वसूली की स्थिति

(राशि करोड़ में)

विवरण	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21	2021–22
कर माँग	261.92	266.87	271.38	281.52	296.25
कर वसूली	205.80	205.00	200.37	226.25	230.16
कर वसूली का प्रतिशत (%)	78.57	76.82	73.67	80.37	77.69
करारोपण करने वाले निकायों का प्रतिशत (%)	97.56	97.56	96.34	97.56	95.12
प्रति नगरीय निकाय औसत कर प्राप्ति	2.50	2.50	2.44	2.75	2.80
प्रति व्यक्ति औसत कर प्राप्ति (रू.)	618.31	615.90	601.99	679.75	691.48

स्रोत :– वित्त आयोग द्वारा एकत्रित समंक

तालिका 10.5
सैंपल नगरीय निकायों में अनिवार्य करों के अंतर्गत विभिन्न करों की स्थिति

(राशि करोड़ में)

विवरण	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21	2021–22
संपत्ति कर	123.88	123.52	120.75	137.63	145.16
प्रति नगरीय निकाय औसत कर प्राप्ति	1.51	1.50	1.47	1.67	1.77
प्रति व्यक्ति औसत कर प्राप्ति (राशि रू. में)	372.18	371.21	362.78	413.49	436.12
समेकित कर	34.55	34.14	32.05	36.98	34.17
प्रति नगरीय निकाय औसत कर प्राप्ति	0.42	0.41	0.39	0.45	0.41
प्रति व्यक्ति औसत कर प्राप्ति (राशि रू. में)	103.81	102.57	96.32	111.11	102.66
जल कर	47.37	47.33	47.56	51.64	50.82
प्रति नगरीय निकाय औसत कर प्राप्ति	0.57	0.57	0.58	0.62	0.61
प्रति व्यक्ति औसत कर प्राप्ति (राशि रू. में)	142.32	142.21	142.89	155.15	152.7

स्रोत :– वित्त आयोग द्वारा एकत्रित समंक

10.21 अनिवार्य करों के अन्तर्गत कर मांग के विरूद्ध कर वसूली का औसत लगभग 77% है। वसूली की राशि एवं कर मांग के विरूद्ध वसूली के अनुपात दोनों में ही वृद्धि की प्रवृत्ति परिलक्षित है जो की एक सकारात्मक स्थिति है परन्तु फिर भी इस अनुपात को और भी बेहतर किए जा सकने की संभावना है।

10.22 अनिवार्य करों के अंतर्गत "संपत्ति कर" एक महत्वपूर्ण घटक है जिसका अनिवार्य करों के अंतर्गत प्राप्त राजस्व में हिस्सा लगभग 60% है। कुल कर–राजस्व में भी संपत्ति कर का हिस्सा लगभग 44% है। यह आय का बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है। संपत्ति कर के मद में प्रति नगरीय निकाय औसत कर प्राप्ति लगभग 1.5 करोड़ तथा प्रति व्यक्ति औसत कर प्राप्ति लगभग 391 रू. है।

विवेकाधीन कर

10.23 नगरीय निकायों को नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 एवं नगर पालिका परिषद अधिनियम 1961 में विवेकाधीन कर लगाने की शक्ति प्राप्त है। विवेकाधीन करों के अंतर्गत विविध प्रकार के कर सम्मिलित है, जैसे प्रदर्शन कर, विज्ञापन कर, शिक्षा–उपकर, जल–निकासी कर आदि। विवेकाधीन करों के अंतर्गत कर वसूली एवं प्राप्तियों की स्थिति चतुर्थ राज्य वित्त आयोग द्वारा कराए गए सैंपल अध्ययन के आधार पर नीचे की तालिकाओं से स्पष्ट है –

तालिका 10.6
सैम्पल नगरीय निकायों की ''वैकल्पिक करों'' के परिप्रेक्ष्य में कर मांग और कर वसूली की स्थिति

(राशि करोड़ में)

विवरण	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21	2021–22
कर माँग (राशि करोड़ रू.)	53.03	47.55	42.45	51.85	52.32
कर वसूली (राशि करोड़ रू.)	74.22	62.48	61.14	77.84	105.73
मांग के विरूद्ध वसूली का प्रतिशत (%)	139.96	131.4	144.03	150.11	202.06
करारोपण करने वाले निकायों का प्रतिशत (%)	90.24	80.49	71.59	71.95	69.51
प्रति नगरीय निकाय औसत कर प्राप्ति (लाख रू. में)	90.51	76.20	74.56	94.93	128.94
प्रति व्यक्ति औसत कर प्राप्ति (रू.)	222.98	187.74	183.7	233.8	317.67

स्रोत :– वित्त आयोग द्वारा एकत्रित समंक

10.24 विवेकाधीन करों के रूप में 2017–22 के दौरान स्थानीय नगरीय निकायों को 381.21 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ जिसमें से लगभग 241 करोड़ का राजस्व विविध या "अन्य करों" के मद में प्राप्त हुआ।

10.25 विवेकाधीन करों में मांग के विरूद्ध वसूली का प्रतिशत लगभग 150% रहा है जो कि काफी उत्साहजनक प्रदर्शन कहा जा सकता है किंतु विभिन्न मदों के अंतर्गत कर आरोपित करने वाले निकायों का प्रतिशत बहुत कम है। उदाहरण के लिए"शिक्षा उपकर" के रूप में नगरीय निकायों को 2017–22 के बीच 59.82 करोड़ की राशि प्राप्त हुई किंतु "शिक्षा उपकर" आरोपित करने वाले नगरीय निकायों का औसत मात्र 5.8% रहा है। इसी प्रकार"विज्ञापन करों" के रूप में नगरीय निकायों को कुल 31.94 करोड़ रूपए की राशि प्राप्त हुई, किंतु उपरोक्त

कर आरोपित नहीं करने वाले नगरीय निकायों की संख्या लगभग दो–तिहाई (63%) है। उपरोक्त स्थिति नगरीय निकायों की इच्छाशक्ति की कमी एवं वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त करने की दिशा में उनकी उदासीनता का सूचक है।

10.26 2017–18 में बाजार फीस आरोपित करने वाले निकायों की संख्या लगभग तीन चौथाई (75.61%) थी जिससे नगरीय निकायों को 7.48 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ। छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के पत्र क्र. 3428/1308/2018 /18, दिनांक 28 अप्रैल 2018 द्वारा बाजार शुल्क की वसूली 01 अप्रैल 2018 से समाप्त कर दिया गया है।

तालिका 10.7
सैंपल नगरीय निकायों की विवेकाधीन करों के अंतर्गत विभिन्न मदों में कर वसूली/प्राप्तियों की स्थिति

(राशि करोड़ में)

विवरण	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21	2021–22
प्रदर्शन कर	0.23	0.43	0.17	0.07	0.15
विज्ञापन कर	3.76	5.42	2.83	8.43	11.50
बाजार फीस	7.48	0.56	3.97	3.03	3.54
शिक्षा उपकर	7.84	13.35	13.05	14.48	11.11
पशु पंजीयन	0.60	0.43	0.59	0.23	0.36
शौचालय कर	0.45	0.10	0.19	0.21	0.31
सीमा कर (निर्यात कर)	5.52	4.68	5.18	4.34	5.00
अन्य कर	48.31	37.47	35.11	47.01	73.72
योग	**74.19**	**62.48**	**61.09**	**77.80**	**105.69**

स्रोत :– वित्त आयोग द्वारा एकत्रित समंक

नगरीय निकायों का गैर-कर राजस्व

10.27 नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 एवं नगर पालिका परिषद अधिनियम 1961 स्थानीय नगरीय निकायों को शुल्क, फीस, अधिभार आदि के रूप में राजस्व संग्रहण की शक्ति प्रदान करता है। इन्हें गैर कर–राजस्व कहा जाता है। वित्त आयोग के सैंपल अध्ययन के आधार पर स्थानीय नगरीय निकायों की स्वयं के स्रोतों से राजस्व प्राप्तियों में गैर–कर राजस्व का हिस्सा औसतन लगभग 21% है जो कर राजस्व की तुलना में काफी कम है इसलिए निकायों के वित्तीय स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है कि कर राजस्व के साथ–साथ गैर–कर राजस्व में भी वृद्धि के प्रयास किए जाएं। कर राजस्व तथा गैर कर राजस्व का तुलनात्मक विवरण तालिका 10.8 में दिया गया है।

तालिका 10.8
सैम्पल नगरीय निकायों की राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व एवं गैर कर राजस्व प्राप्तियां

(आंकड़े प्रतिशत रूप मे)

विवरण	2017—18	2018—19	2019—20	2020—21	2021—2022
(क) कर राजस्व (1+2)	80.66	76.16	78.97	80.92	77.77
(1) अनिवार्य कर	59.2	58.37	60.4	60.2	53.29
(2) विवेकाधीन कर	21.46	17.79	18.57	20.72	24.48
(ख) गैर कर राजस्व	19.34	23.84	21.03	19.08	22.30
योग (क + ख)	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

स्रोत :— वित्त आयोग द्वारा एकत्रित समंक

10.28 वित्त आयोग के सैंपल अध्ययन के अनुसार 2017—22 के बीच स्थानीय नगरीय निकायों को 388 करोड़ की राशि गैर—कर राजस्व के रूप में प्राप्त हुई जिसमें सर्वाधिक 183 करोड़ की राशि "अन्य राजस्व" के मद में प्राप्त हुई है। उपरोक्त अवधि में "किराया या पट्टा" के रूप में लगभग 47 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है परन्तु इसमें निरंतर कमी की प्रवृत्ति परिलक्षित है। लायसेंस या अनुज्ञा शुल्क नगरीय निकायों की आय का महत्वपूर्ण स्रोत है एवं निरंतर उतार चढ़ाव की प्रवृत्ति के बावजूद उपरोक्त मद में 2017—22 के दौरान 13% का राजस्व प्राप्त हुआ है। प्रक्रियाओं के सरलीकरण और ऑनलाईन माध्यमों से भुगतान की सुविधा आदि के जरिए इसमें और अधिक वृद्धि की संभावना है। वर्तमान में रहवासी कॉलोनियों के निरंतर विस्तार एवं नयी निजी निर्माण परियोजनाओं के साथ—साथ रियल स्टेट कॉलोनी अनुज्ञा से नगरीय निकायों को अधिक से अधिक राजस्व प्राप्ति की संभावना है अतः निकायों को इस दिशा में एक निश्चित रोडमैप के माध्यम से सकारात्मक प्रयास आवश्यक है। तालिका 10.9 में पांच वर्षो के आंकड़ों का मदवार विस्तृत जानकारी दी गई।

तालिका 10.9
सैम्पल नगरीय निकायों की गैर कर राजस्व प्राप्तियाँ एवं विभिन्न मदों का गैर कर राजस्व में प्रतिशत

(राशि करोड़ रू. में)

विवरण	2017—18		2018—19		2019—20		2020—21		2021—22	
	राशि	कुल गैर कर राजस्व में %	राशि	कुल गैर कर राजस्व में %	राशि	कुल गैर कर राजस्व में %	राशि	कुल गैर कर राजस्व में %	राशि	कुल गैर कर राजस्व में %
किराया / पट्टा से	12.62	18.81	9.46	11.3	9.04	13	9.20	12.83	9.85	10.27
लायसेंस फीस	2.11	3.15	1.54	1.84	1.58	2.28	1.52	2.13	1.99	2.08
ब्याज	1.21	1.82	1.83	2.19	2.30	3.32	2.64	3.69	2.47	2.57
उद्यानों से राजस्व	2.93	4.37	1.55	1.86	1.09	1.58	0.54	0.76	0.67	0.71
भवन एवं कालोनी अनुज्ञा	5.18	7.72	9.57	11.43	10.28	14.78	9.19	12.82	10.38	10.82
पार्किंग कर	0.01	0.02	0	0	0.00	0	0	0	0	0
खाद की बिक्री	0.00	0	0.07	0.09	0.02	0.04	0.32	0.45	0.32	0.34
दंड	2.00	2.98	2.67	3.19	3.84	5.52	3.28	4.58	3.17	3.3
उपभोक्ता प्रभार	0.31	0.48	0.42	0.51	0.96	1.39	1.10	1.55	0.92	0.96
यूजर चार्ज	8.22	12.25	7.33	8.76	9.21	13.23	10.58	14.76	28.88	30.1
अन्य राजस्व	32.48	48.38	49.23	58.82	31.22	44.86	33.29	46.43	37.27	38.84
योग	**67.13**	**100**	**83.70**	**100**	**69.61**	**100**	**71.70**	**100**	**95.96**	**100**

स्रोत :— वित्त आयोग द्वारा एकत्रित समंक

स्थानीय नगरीय निकायों की व्यय संरचना

10.29 चतुर्थ वित्त आयोग द्वारा कराए गए सैंपल अध्ययन के आधार पर स्थानीय नगरीय निकायों के व्यय की संरचना तालिका 10.10 एवं 10.11 के माध्यम से स्पष्ट की गयी है –

तालिका 10.10
सैंपल नगरीय निकायों के व्यय की संरचना

(राशि करोड़ रू. में)

विवरण	2017–18		2018–19		2019–20		2020–21		2021–22	
	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
(1) राजस्व व्यय	555.86	58.10	669.47	55.50	635.14	37.60	598.98	37.60	578.75	52.20
(2) पूंजीगत व्यय	372.56	38.97	469.75	38.98	952.4	56.42	940.03	59.00	464.13	41.87
(3)कल्याणकारी योजनाओं पर व्यय	14.87	1.56	36.38	3.02	48.77	2.89	27.45	1.72	30.61	2.76
(4)विविध प्राप्तियों के विरूद्ध व्यय	12.81	1.34	29.48	2.45	51.72	3.06	26.67	1.67	34.90	3.15
कुल व्यय	956.11	100	1205.09	100	1688.04	100	1593.14	100	1108.40	100

स्रोत :– वित्त आयोग द्वारा एकत्रित समंक

तालिका 10.11
सैंपल नगरीय निकायों के राजस्व व्यय की संरचना

(राशि करोड़ रू. में)

विवरण	2017–18		2018–19		2019–20		2020–21		2021–22	
	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
(क) स्थापना व्यय	326.94	58.82	352.12	52.60	381.93	60.13	371.11	61.96	337.99	58.40
(ख) संधारण व्यय	228.92	41.18	317.35	47.40	253.21	39.86	227.87	38.03	240.76	41.60
राजस्व व्यय (क + ख)	555.86	100	669.47	100	635.14	100	598.98	100	578.75	100

स्रोत :– वित्त आयोग द्वारा एकत्रित समंक

10.30 उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि सैंपल नगरीय निकायों में कुल व्यय का सबसे बड़ा हिस्सा राजस्व व्यय का रहा है जो कुल व्यय का लगभग 48% है। इसी प्रकार वर्ष 2017–22 के बीच कुल व्ययों में पूंजीगत व्यय का हिस्सा लगभग 47% है जो राजस्व व्यय के लगभग बराबर है। चूंकि राजस्व व्यय गैर–निष्पादनकारी प्रवृत्ति के होते है अतः नगरी निकायों के राजकोषीय स्वास्थ्य के लिए राजस्व व्यय में कमी का प्रयास किया जाना बेहतर होगा।

10.31 राजस्व व्यय का सबसे बड़ा घटक स्थापना व्यय है जो कुल राजस्व व्यय का लगभग 58% है तथा स्वयं के राजस्व आय का लगभग 97% है। कुल राजस्व व्यय में संधारण व्यय लगभग 42% है।

10.32 प्रदेश के सभी नगरीय निकायों का स्थापना व्यय, स्वयँ के राजस्व का लगभग 97 प्रतिशत है, अतः आयोग की अनुशंसा है कि **"स्थापना व्यय की समीक्षा कर उसमें कमी किया जाए"**।

लेखा एवं अंकेक्षण

10.33 केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा पर नगरीय निकायों का लेखा संधारण द्विप्रविष्टि लेखा प्रणाली के अनुसार किया जा रहा है। स्थानीय नगरीय निकायों की लेखा संधारण नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा बाह्य स्त्रोत से चार्टड एकाउंटेंट की सेवा प्राप्त कर किया जा रहा है।

10.34 वर्तमान में लेखा संधारण की स्थिति संतोषप्रद नहीं है। छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा संचालनालय के द्वारा लेखा संधारण के लिए दी गई जानकारी के अनुसार वर्तमान लेखा संधारण की व्यवस्था में मुख्य वित्तीय प्रपत्र जैसे लेजर, बैलेंस शीट आय–व्यय विवरण तैयार नही किये जा रहे है। आयोग को नगरीय निकायों से प्राप्त संमक से भी यह तथ्य प्रतिपादित होत है कि लेखा संधारण की स्थिति संतोषप्रद नहीं है।

10.35 नगरीय निकायों में लेखा संधारण का कार्य आउटसोर्सिंग के माध्यम से कराये जाने के बाद भी संतोषजनक परिणाम प्राप्त नही हुए हैं, अतः आयोग की अनुशंसा है कि **"नगरीय निकायों में लेखा संधारण का कार्य पुनः संस्थागत किया जाए, इस हेतु समयावधि निर्धारित किया जाए तथा इस हेतु अधिकारियों–कर्मचारियों का प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जाए"।**

10.36 नगरीय निकायों में बजट एवं लेखांकन के वर्गीकरण हेतु शासन द्वारा नियम बनाये जाने की आवश्यकता है। **आयोग की अनुशंसा है कि "नगरीय निकायों के लिए लेखांकन के वर्गीकरण की विधि बनायी जाए, जिसमें लेखांकन के वर्गीकरण की विधि, शासन के लिए बनाये गये वर्गीकरण के अनुरूप हो"। इस हेतु शासन द्वारा एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाए, जिसमें महालेखाकार, वित्त विभाग, संचालक–राज्य संपरीक्षा तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रतिनिधि सम्मिलित हों।**

10.37 **''प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में बजट तथा लेखांकन के लिए एक सॉफ्टवेयर भी तैयार किया जाए'', जिससे लेखा एवं लेखा संधारण में एकरूपता, गुणवत्ता, शुद्धता तथा पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके और नीति निर्धारण हेतु विश्वसनीय समंक प्राप्त किया जा सके।**

10.38 छततीसगढ़ राज्य संपरीक्षा संचालनालय, नगरीय निकायों का संवैधानिक अंकेक्षक है। स्थानीय नगरीय निकायों के तीनो स्तरों में सबसे अधिक अंकेक्षण कंडिका, नगर पंचायतों में लंबित है। नगर निगम तथा नगर पालिका में भी ज्यादा संख्या में अंकेक्षण कंडिका निराकरण हेतु लंबित है। विगत 05 वर्षों की लंबित अंकेक्षण कंडिका की जानकारी तालिका में निम्नानुसार है :–

तालिका 10.12
नगरीय निकायों में विगत 05 वर्षो की अंकेक्षण आपत्तियों की जानकारी

(राशि करोड़ रू. में)

निकाय	अवशेष आपत्ति (वर्ष 2016–17)		विगत 05 वर्षों में उत्थापित आपत्तियां		विगत 05 वर्षों में निराकृत आपत्तियां		वर्तमान में अवशेष आपत्तियां	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
नगर निगम	15376	3319.35	1217	3174.32	55	93.86	16538	6399.81
नगरपालिका परिषद	16960	485.94	4078	523.72	224	0.95	20814	1008.71
नगर पंचायत	36687	691.36	8239	223.26	844	12.72	44082	1101.91
योग	**69023**	**4496.65**	**13534**	**3921.30**	**1123**	**107.53**	**81434**	**8510.43**

स्रोत :– छ.ग. राज्य संपरीक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा प्रदत्त

10.39 अंकेक्षण हेतु शेष लंबित वर्षो की संख्या अत्यधिक है, अतः **आयोग की अनुशंसा है कि "छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा विभाग द्वारा इस पर समयबद्ध कार्यवाही की जाए"।**

10.40 छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के पश्चात् मार्च 2022 की स्थिति में 791 वित्त वर्ष का अंकेक्षण शेष है। लंबित अंकेक्षण वर्ष की जानकारी नीचे तालिका में दी गई है। :–

तालिका 10.13
लंबित वर्ष की जानकारी

क्र.	निकाय	निकायो की कुल संख्या	लंबित वित्तीय वर्षो की संख्या	वित्तीय वर्ष 21–22 में अंकेक्षित निकाय के वित्तीय वर्षो की संख्या	शेष लंबित वित्तीय वर्षो की संख्या
1	नगर पालिक निगम	14	84	4	80
2	नगर पालिका परिषद	43	242	9	233
3	नगर पंचायत	110	546	68	478
योग		**167**	**872**	**81**	**791**

स्त्रोत :– छ.ग. राज्य संपरीक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा प्रदत्त

10.41 वर्तमान में 8510.43 करोड़ रू के 81,434 आपत्तियाँ निराकरण हेतु लंबित है, अतएव **आयोग की अनुशंसा है कि "समयसीमा निर्धारित कर आपत्तियों का निराकरण किया जाए"।**

प्रारंभिक शेष एंव अंतिम शेष

10.42 प्रतिदर्श समंक के अनुसार नगरीय निकायों में वर्ष 2017–18 का प्रारंभिक शेष 879.28 करोड़ तथा अंतिम शेष 1440.05 करोड़ था जो वर्ष 2021–22 में बढ़कर अंतिम शेष 1801.83 करोड़ हो गया है। अनुमान है कि वर्ष 2021–22 में नगरीय निकायों का अंतिम शेष 3735.50 करोड़ होगा। इस अध्याय के बिंदु 10.11 में अनुसार नगर विकास निधि द्वारा गठित नगर विकास निधि में वर्ष 2022 में 966.10 करोड़ अंतिम शेष है। इस प्रकार कुल अंतिम शेष 4701.60 करोड़ रहने का अनुमान है।

नगर पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा

10.43 चतुर्थ वित्त आयोग द्वारा कराए गए सैंपल अध्ययन के आधार पर एवं उपरोक्त तालिकाओं के अध्ययन से स्पष्ट है कि वर्ष 2017–22 के बीच चयनित सैंपल नगर पंचायतों को कुल 931.64 करोड़ की राशि विभिन्न मदों के अंतर्गत प्राप्त हुई।

10.44 नगर पंचायतों की स्वयं के स्रोतों से प्राप्तियां कुल प्राप्तियों का लगभग 11% है। अतः स्पष्ट है कि नगर पंचायते अपनी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतू पूरी तरह से राज्य और केन्द्र से अंतरित राशियों पर निर्भर हैं। कुल प्राप्तियों में लगभग 2/3 हिस्सा राज्य से अंतरित राशि का रहा है।

10.45 2017–22 के बीच नगर पंचायतों की स्वयं के स्रोतों से प्राप्तियां लगभग 111 करोड़ रही है जिसमें कर राजस्व का हिस्सा लगभग 61% है। ध्यातव्य है कि कुल कर आय का लगभग 1/3 हिस्सा संपत्ति कर से प्राप्त होता है किंतु कर मांग के विरूद्ध वसूली का प्रतिशत मात्र 56% है। इसी प्रकार कुल कर आय में जल–कर का हिस्सा लगभग 24% है लेकिन कर मांग के विरूद्ध केवल 50% राशि की ही वसूली की जा रही है। अतः इस स्थिति में पर्याप्त सुधार की संभावना है क्योंकि संपत्ति कर और जल–कर दोनों ही नगर पंचायतों की आय का महत्वपूर्ण स्रोत हैं।

तालिका 10.14
सैम्पल नगर पंचायतों की वित्तीय स्थिति

(राशि करोड़ रू. में)

विवरण	2017–18		2018–19		2019–20		2020–21		2021–22	
	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
(I)स्वयँ के स्रोत से राजस्व प्राप्तियाँ	22.27	13.57	22.37	12.03	18.87	8.50	23.58	13.83	24.64	13.05
(II)राज्य सरकार से अंतरित राशि	113.20	68.98	136.79	73.57	131.92	59.39	113.43	66.53	123.60	65.43
(III) केंद्र से प्राप्तियाँ	21.40	13.03	14.55	07.82	31.77	14.30	22.74	13.33	30.66	16.23
(vi)विविध प्राप्तियां	07.23	04.42	12.23	06.58	39.55	17.81	10.76	06.31	09.98	06.29
(v) कुल योग	**164.12**	**100**	**185.97**	**100**	**222.13**	**100**	**170.53**	**100**	**188.89**	**100**

स्रोत :– वित्त आयोग द्वारा एकत्रित समंक

10.46 विवेकाधीन करों के अंतर्गत कर मांग के विरूद्ध वसूली की स्थिति अनिवार्य करों से बेहतर है लेकिन उपरोक्त करों के अंतर्गत अधिकांश मदों जैसे – प्रदर्शन कर, विज्ञापन कर, सीमा कर आदि में कर का आरोपण करने वाले निकायों की संख्या बहुत कम एवं किसी–किसी मद में तो नगण्य है जो नगर पंचायतों में इच्छा शक्ति के अभाव एवं वित्तीय स्वायत्तता के लक्ष्य के प्रति उनकी उदासीनता का परिचायक है।

10.47 राज्य के शहरी स्थानीय निकायों में नगर पंचायतो की संख्या सबसे अधिक है एवं नगर पंचायत शहरी–ग्रामीण संक्रमित क्षेत्रों में विकास की महत्वपूर्ण कड़ी है इसलिए नगर पंचायतों को अपने वित्तीय आयामों के प्रसार की आवश्यकता है।

10.48 वर्ष 2018–19 से 2021–22 के बीच राजस्व व्यय में कमी की प्रवृत्ति है। फिर भी राजस्व व्यय कुल व्यय का 46% है जो कि अवांछित स्थिति है ।

तालिका 10.15
सैम्पल नगरीय पंचायत निकायों के व्यय की संरचना एवं कुल व्यय में हिस्सेदारी

(राशि करोड़ रू. में)

विवरण	2017–18		2018–19		2019–20		2020–21		2021–2022	
	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
(1)राजस्व व्यय	49.66	45.44	52.82	31.95	60.59	29.09	60.36	37.35	60.27	36.19
(2)पूंजीगत व्यय	48.90	44.75	85.04	51.44	87.92	42.21	73.41	45.42	80.53	48.35
(3)कल्याणकारी योजनाओं पर व्यय	3.77	3.45	14.31	8.66	24.43	11.73	15.16	9.38	12.88	7.73
(4)विविध मदों में व्यय	6.95	6.36	13.16	7.96	35.34	16.97	12.68	7.85	12.86	7.72
योग	**109.28**	**100.0**	**165.33**	**100.00**	**208.28**	**100.00**	**161.61**	**100.0**	**166.54**	**100.0**

स्रोत :– वित्त आयोग द्वारा एकत्रित समंक

तालिका 10.16
सैंपल नगरीय पंचायत निकायों के राजस्व व्यय की संरचना

(राशि करोड़ रू. में)

विवरण	2017–18		2018–19		2019–20		2020–21		2021–22	
	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
(क)स्थापना व्यय	34.93	70.34	38.02	71.99	41.93	69.21	42.68	70.71	42.11	69.87
(ख) संधारण व्यय	14.73	29.66	14.80	28.01	18.66	30.79	17.68	29.29	18.16	30.13
राजस्व व्यय (क+ख)	**49.66**	**100.00**	**52.82**	**100.00**	**60.59**	**100.00**	**60.36**	**100.00**	**60.27**	**100.00**

स्रोत :– वित्त आयोग द्वारा एकत्रित समंक

10.49 नगर पंचायतों में स्वयँ के स्रोतों से प्राप्तियाँ, कुल प्राप्तियों का मात्र 11 प्रतिशत है, तथा कर मांग के विरूद्ध वसूली लगभग 50 से 60 प्रतिशत के मध्य है, स्पष्ट है कि नगर पंचायतों द्वारा कर मांग के विरूद्ध वसूली को बढ़ाने हेतु प्रयास करने की आवश्यकता है। प्रदेश के सभी नगरीय निकायों का स्वयँ के स्रोतों से प्राप्तियाँ, कुल प्राप्तियों का 25 प्रतिशत है, अतः आयोग की अनुशंसा है कि **"नगर पंचायतों तथा नगर पालिका परिषदों के स्वयं के स्रोतों से प्राप्तियाँ, कुल प्राप्तियों का 25 प्रतिशत लक्ष्य निर्धारित किया जाए"।**

नगर-पालिका परिषदों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा

10.50 तालिका 10.17 से स्पष्ट है कि वर्ष 2017–22 की अवधि में नगर पालिका परिषदों की स्वयं के स्रोत से प्राप्तियों का कुल प्राप्तियों में योगदान का औसत लगभग 16% है। जिससे स्पष्ट है कि नगरपालिका परिषदें अपनी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पूरी तरह से केन्द्र एवं राज्य से अंतरित राशियों पर निर्भर हैं।

10.51 नगर पालिका परिषदों की स्वयं के स्रोत से प्राप्तियां 2017–22 के बीच लगभग 220 करोड़ थी जिसमें कर राजस्व के अंतर्गत प्रति नगरीय निकाय औसतन 1.1 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है। कुल प्राप्तियों में लगभग 11% राशि कर–राजस्व के अंतर्गत एवं लगभग 4.5% राशि गैर–कर राजस्व के अंतर्गत प्राप्त हुई। वर्ष 2020–21 से 2021–22 में गैर–कर राजस्व में वृद्धि की प्रवृत्ति रही है जबकि इसी अवधि में कर राजस्व में आंशिक उतार–चढ़ाव की प्रवृत्ति रही है।

10.52 संपत्ति कर नगरपालिका परिषदों की आय का महत्वपूर्ण स्रोत है जिसका कुल कर आय में योगदान 31% है किंतु कर मांग के विरूद्ध कर वसूली का प्रतिशत 68% है जिसमें सुधार किए जाने की संभावना है। इसी प्रकार जल कर का नगर पालिका परिषदों की कुल कर आय में लगभग 18% का योगदान है किंतु कर की मांग के विरूद्ध जल कर का वसूली प्रतिशत मात्र 43% है जो काफी निराशाजनक स्थिति है।

10.53 विवेकाधीन करों के अंतर्गत वसूली का औसत प्रतिशत 116% है जो कि बहुत अच्छी स्थिति है किंतु कुछ मदों को छोड़ दिया जाए तो अधिकतर मदों के अंतर्गत कर आरोपित करने वाले निकायों की संख्या बहुत कम है जो वित्तीय स्वायत्तता के लक्ष्य के प्रति नगर पालिका परिषदों की उदासीनता को प्रदर्शित करता है। नगर पालिका परिषदों को अनिवार्य करों के साथ–साथ विवेकाधीन करों के आरोपण और वसूली हेतु गंभीरता से प्रयास करना आवश्यक है।

तालिका 10.17
सैम्पल नगर पालिका परिषदों की वित्तीय स्थिति

(राशि करोड़ रू. में)

विवरण	2017–18		2018–19		2019–20		2020–21		2021–2022	
	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
(I)स्वयँ के स्रोत से राजस्व प्राप्तियाँ	44.99	17.40	41.58	15.98	37.21	11.59	48.49	16.67	48.13	15.87
(II)राज्य सरकार से हस्तांतरण	179.00	69.21	187.06	71.89	214.15	66.67	185.42	63.76	177.01	58.34
(III)केंद्र से अंतरण	26.92	10.41	21.63	8.32	57.51	17.90	47.60	16.37	69.99	23.70
(vi)विविध प्राप्तियां	7.69	2.98	9.90	3.81	12.34	3.84	9.31	3.20	8.25	2.72
(v)कुल योग	**258.61**	**100**	**260.19**	**100**	**321.23**	**100**	**290.83**	**100**	**303.39**	**100**

स्रोत :– वित्त आयोग द्वारा एकत्रित समंक

10.54 2017–22 के बीच सैंपल नगर पालिका परिषदों का राजस्व व्यय कुल व्यय का लगभग 45.5% तथा पूंजीगत व्यय 45% है। राजस्व व्यय अपनी प्रकृति में गैर–निष्पादनकारी होते हैं इसलिए राजकोषीय स्वास्थ्य के लिए राजस्व व्यय कम किया जाना अपेक्षित है। 2019–20 से 2021–22 के बीच राजस्व व्यय में निरंतर कमी की प्रवृत्ति प्रदर्शित है जो कि एक सकारात्मक संकेत है। राजस्व व्यय का सबसे बड़ घटक 'स्थापना व्यय' है जो कुल राजस्व व्यय का लगभग 71% है। संधारण व्यय कुल राजस्व व्यय का 29% है। कुल राजस्व व्यय में स्थापना व्यय के बढ़ने तथा संधारण व्यय के घटने की प्रवृत्ति चिंताजनक है। नगर पालिका परिशद की वित्तीय प्रवृत्तियों को तालिका क्रमांक 10.17 से 10.19 में देखा जा सकता है।

10.55 नगर पालिका परिषद में राजस्व व्यय के दो मुख्य मदें है, स्थापना व्यय तथा संधारण व्यय। विगत 5 वर्षों के राजस्व व्यय की संरचना में स्थापना व्यय में वृद्धि तथा संधारण व्यय में कमी आने की प्रवृत्ति है। **अतः आयोग की अनुशंसा है कि "राजस्व व्यय में स्थापना व्यय तथा संधारण व्यय का अनुपात निश्चित किया जाए और उसके आधार पर समस्त नगरीय निकायों का पर्यवेक्षण किया जाए"।**

सारणी 10.18
सैम्पल नगरीय पालिका परिषदों के व्यय की संरचना

(राशि करोड़ रू. में)

विवरण	2017–18		2018–19		2019–20		2020–21		2021–2022	
	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
(1) राजस्व व्यय	79.83	46.83	99.35	44.77	99.08	43.90	95.33	47.36	84.55	44.62
(2) पूंजीगत व्यय	78.70	46.17	93.51	42.14	102.61	45.46	91.94	45.68	86.57	45.69
(3) कल्याणकारी योजनाओं पर व्यय	6.09	3.57	17.07	7.69	16.02	7.10	7.27	3.61	7.68	4.05
(4) विविध मदों में व्यय	5.85	3.43	11.99	5.40	8.01	3.55	6.74	3.35	10.69	5.64
योग	**170.47**	**100**	**221.92**	**100**	**225.72**	**100**	**201.28**	**100**	**189.49**	**100**

स्रोत :– वित्त आयोग द्वारा एकत्रित समंक

तालिका 10.19
सैम्पल नगरीय पालिका परिषदों के राजस्व व्यय की संरचना

(राशि करोड़ रू. में)

विवरण	2017–18		2018–19		2019–20		2020–21		2021–22	
	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
(क) स्थापना व्यय	54.52	68.30	65.23	65.66	69.49	70.14	69.56	72.97	66.71	78.89
(ख) संघारण व्यय	25.31	31.70	34.12	34.34	29.59	29.85	25.77	27.03	17.84	21.10
राजस्व व्यय (क+ख)	**79.83**	**100**	**99.35**	**100**	**99.08**	**100**	**95.33**	**100**	**84.55**	**100**

स्रोत :– वित्त आयोग द्वारा एकत्रित समंक

नगर पालिक निगमों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा

10.56 प्रतिदर्श समंक के आधार पर जो तालिका 10.20 से स्पष्ट है कि 2017–22 की अवधि में नगर निगमों का कुल प्राप्तियों में स्वयं के राजस्व का 30% आय, राज्य शासन से 35% तथा केन्द्रीय वित्त आयोग से 33% प्राप्त हो रहा है।

10.57 नगर पालिक निगमों का स्वयं के स्रोतों से प्राप्त राजस्व कुल प्राप्तियों का लगभग 30% है जो नगर पचायतों एवं नगरपालिका परिषदों से बेहतर स्थिति है, स्वयं के स्रोतों से प्राप्त आय में लगभग 81% हिस्सा कर–राजस्व का है। कुल कर आय में संपत्ति कर का हिस्सा 48% है तथा कर मांग के विरूद्ध संपत्ति कर की वसूली का प्रतिशत 90% है जो नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों की तुलना में अच्छी स्थिति में है। संपत्ति कर नगर पालिक निगमों की आय का महत्वपूर्ण स्रोत है। अतः कुल कर आय में संपत्ति कर की हिस्सेदारी बढ़ाने हेतु और अधिक प्रयास अपेक्षित हैं।

10.58 विवेकाधीन करों के अंतर्गत कर मांग के विरूद्ध वसूली का प्रतिशत लक्ष्य से कहीं अधिक है किंतु अभी भी विवेकाधीन करों के अंतर्गत शिक्षा उपकर पशु पंजीयन कर शौचालय कर नहीं लगाने वाले निकायों का प्रतिशत 69% एवं जल निकासी कर नहीं लगाने वाले निकायों का प्रतिशत अधिक है जो वित्तीय स्वायत्तता के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु नगर पालिक निगमों की उदासीनता को प्रदर्शित करता है। अतः नगर पालिक निगमों से यह अपेक्षा की जाती है कि राज्य शासन के अनुदानों पर अत्यधिक निर्भरता को कम करने के प्रयास के रूप में स्वयं के स्रोतों से राजस्व प्राप्ति के आयाम का विस्तार करें।

तालिका 10.20
सैम्पल नगर पालिक निगमों की आय की संरचना

(राशि करोड़ रू. में)

विवरण	2017–18		2018–19		2019–20		2020–21		2021–2022	
	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
(I) स्वयँ के स्रोत से राजस्व प्राप्तियाँ	279.89	25.67	287.23	33.96	275.03	25.38	303.73	26.90	359.08	38.21
(II)राज्य सरकार से प्राप्तिया	435.71	39.96	305.01	36.06	340.45	31.42	400.02	35.43	287.51	30.59
(III)केंद्र से प्राप्तियाँ	349.60	32.06	209.66	24.79	453.74	41.88	406.32	35.99	273.03	29.05
(v)से विविध प्राप्तियाँ	25.15	2.31	43.86	5.19	14.25	1.32	19.00	1.68	20.12	2.14
(v)कुल योग	**1090.36**	**100**	**845.76**	**100**	**1083.48**	**100**	**1129.07**	**100**	**939.75**	**100**

स्रोत :– वित्त आयोग द्वारा एकत्रित समंक

10.59 नगर पालिक निगमों का कुल व्यय में राजस्व व्यय 51 प्रतिशत से अधिक है तथा पूंजीगत व्यय 46 प्रतिशत है। वर्ष 2019–20 तथा वर्ष 2020–21 में राजस्व व्यय का हिस्सा पूंजीगत व्यय से कम है।

10.60 राजस्व में स्थापना व्यय लगभग 55 प्रतिशत तथा संधारण व्यय लगभग 45 प्रतिशत है।

तालिका 10.21
सैम्पल नगर पालिक निगमों की व्यय की संरचना

(राशि करोड़ रू. में)

विवरण	2017–18		2018–19		2019–20		2020–21		2021–2022	
	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
(1) राजस्व व्यय (क+ख)	425.63	63.29	516.68	63.38	474.71	38.02	443.08	36.14	433.00	57.8
(2) पूंजीगत व्यय	241.9	35.97	289.22	35.48	757.77	60.69	770.79	62.87	294.95	39.4
(3) कल्याणकारी योजनाओं पर व्यय	5.00	0.74	5.00	0.61	8.00	0.64	5.00	0.41	10.00	1.3
(4) विविध मदों में व्यय	0.00	0.00	4.33	0.53	8.14	0.65	7.13	0.58	11.34	1.5
योग	**672.53**	**100**	**815.23**	**100**	**1248.62**	**100**	**1226**	**100**	**749.29**	**100**

स्रोत :– वित्त आयोग द्वारा एकत्रित समंक

10.61 नगर पालिका निगमों के राजस्व व्यय की वृद्धि दर -0.90% रही है जो आंशिक सकरात्मक स्थिति का सूचक है। उसी प्रकार पूंजीगत व्यय वृद्धि दर 5.08% वार्षिक रही है। चूंकि पूंजीगत व्यय अपनी प्रकृति में निष्पादनकारी होते हैं जिनसे भविष्य में राजस्व की संभावनाएं निहित होती हैं तथा नगर निगम क्षेत्रों में सड़कों, नालियों, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं अधोसंरचनात्मक व्यय हेतु पूंजीगत व्यय अपरिहार्य है भी पूंजीगत व्यय का बढ़ना, बेहतर सूचक है। नगर पालिका निगमों का वित्तीय प्रवृत्तियाँ तालिका क्र. 10.20 से 10.22 में देखा जा सकता है।

तालिका 10.22
सैम्पल नगरीय पालिका निगमों की राजस्व व्यय की संरचना

(राशि करोड़ रू. में)

विवरण	2017–18		2018–19		2019–20		2020–21		2021–22	
	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
(क) स्थापना व्यय	236.76	56	248.25	48	269.83	57	258.78	58	228.31	53
(ख) संघारण व्यय	188.87	44	268.43	52	204.88	43	184.30	42	204.69	47
राजस्व व्यय (क+ख)	**425.63**	**100**	**516.68**	**100**	**474.71**	**100**	**443.08**	**100**	**433.00**	**100**